कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड,लोक निर्माण विभाग, चकराता।

Website-http://pwd.uk.gov.in
E-Mail-eepwdchakrata10@rediffmail.com

पत्रांकः– ..../

दिनांकः– ..../02/2018

सेवा में,

मै0 रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड,
एस0 14 ए, 15 ए द्वितीय तल
एन0सी0आर0 प्लाजा,
न्यू गाधी कैन्ट रोड़, हाथीबडकला देहरादून।

विषयः– त्यूनी–पुरोला–नौगांव मोटर मार्ग एस0एच0 17 के कि0मी0 1 से 20 में ओ0एफ0सी0 केबिल बिछाने हेतु रोड़ साईड कटिंग की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक सं0–शून्य/ दिनांक 15.02.2018 डिमांड ड्राफ्ट सं0–554094 रू0. 1,25,90,600.00 दिनांक 15.02.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा डिमांड ड्राफ्ट सं0– 554094 रू0 1,25,90,600.00 दिनांक 15.02.2018 इस खण्ड मे जमा करा दिया गया है। अतः आपको निम्नलिखित शर्तों/प्रवधानों के तहत त्यूनी पुरोला नौगांव मोटर मार्ग के कि0मी0 1 से 20 तक ओ0एफ0सी0 बिछाने हेतु रोड़ साईड कटिंग की अनुमति प्रदान की जाती है।

1– केबिल को बिछाने पर मार्ग के यातायात में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिये।
2– केबिल बिछाने के लिये खुदान का कार्य श्रमिकों द्वारा किया जायें, जे0सी0बी0 का प्रयोग न किया जायें क्योंकि जे0सी0बी0 से कार्य करते समय कम्पन होने के कारण पेंटिंग सतह खराब हो जाती है, एवं हिल साईड में स्लिप आने का खतरा बना रहता है।
3– केबिल बिछाने के बाद गड्ढा पूरी तरह से मिट्टी से भरना होगा, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न होने पायें।
4– निर्माण के समय मार्ग के दोनों ओर निर्माण कार्य प्रगति पर का साइन बोर्ड अवश्य लगायें।
5– रोड़ कटिंग किये जाने के दौरान यदि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, तो इसकी पूर्ण जिम्मेंदारी आपकी होगी।
6– केबिल बिछाने का कार्य पेंटिंग सतह को छोड़कर हिल साईड में करना होगा।
7– एक समय में 250 मीटर से अधिक लम्बाई में खुदान नहीं किया जायं, 250 मीटर में कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ही अगले 250 मीटर लम्बाई में कार्य प्रारम्भ किया जायं।
8– मार्ग के किनारे लगे कि0मी0 स्टोन, हे0मी0 स्टोन, एज स्टोन, बोर्ड एवं पाइपलाईन आदि की कोई क्षति नहीं होनी चाहिये, यदि कोई क्षति की जाती है, तो इसकी मरम्मत स्वयं रिलायंस जियो कम्पनी को करनी होगी।
9– कार्य कि0मी0 1 से 20 तक दो माह में पूर्ण करना सुनिश्चित् करें।
10– प्रमुख अभियन्ता, एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 542/10 प्रकीर्ण–उत्तराखण्ड/2011 दिनांक 16.05.2011 संशोधित आदेश दिनांक 16.05.2016 के कार्यालय ज्ञाप का अनुपालन सुनिश्चित् किया जायं।

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0,चकराता।

पत्रांकः 261/14

दिनांकः 27/02/2018

प्रतिलिपिः– सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, चकराता को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– कनिष्ठ अभियन्ता श्री आशीष कुमार को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0) को अभिलेख हेतु।

27/2/18

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 चकराता।

Scanned by CamScanner